ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट संख्या–01,सैक्टर–के0पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी
गौतम बुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक / उद्योग / 2019 / 7301 दिनांक 26/06/2019

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक क्षेत्र के ऐसे औद्योगिक भूखण्ड जिनका आवंटन 30.09.2011 से पूर्व किया गया है, के आवंटियों की समस्याओं एवं व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत औद्योगिक विकास के हित में औद्योगिक भूखण्डों की लीजडीड एवं कियाशील कराने का अन्तिम अवसर पुनः प्रदान किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड की 114वी बैठक दिनांक 31.05.2019 को प्रस्तुत किया गया था।

सैक्टर **इकाटेक XI** को छोडकर अन्य सैक्टरो के भूखण्ड, जिनकी लीजडीड दिनांक 31.01.2018 तक नही हो सकी है, को प्राधिकरण नीति के अनुसार निर्धारित समय सीमा के बाद प्रति छमाही क्रमशः 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%,10%,11%,12% एवं 13%, एवं उक्त अवधि के पश्चात भूखण्ड के प्रचलित आवंटन दर से भूखण्ड के प्रीमियम के 2 प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क सहित लीज डीड निष्पादित कराने हेतु 3 (तीन) माह (कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से 3 माह) तक का समय विस्तरण अनुमन्य किया जाता है। कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से 3 (तीन) माह में लीज डीड नही कराने वाले आवंटनों को निरस्त कर दिया जायेगा।

इस श्रेणी के भूखण्डों के निर्माण / क्रियाशील हेतु लीज डीड निष्पादन की तिथि से 18 माह का समय प्रदान किया जायेगा तत्पश्चात प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के लिए क्रमशः 4 प्रतिशत, 6 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत विलम्ब शुल्क एवं तत्पश्चात भूखण्ड के प्रीमियम के 2 प्रतिशत प्रतिमाह आवंटन दर से विलम्ब शुल्क सहित वर्तमान औद्योगिक नीति के अन्तर्गत समय प्रदान किया जायेगा।

उक्त आदेश प्राधिकरण बोर्ड में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

OP No.-46482

(सतोष कुमार)
विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त / नियोजन / परियोजना) ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।
4. प्रबन्धक (उद्योग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

विशेष कार्याधिकारी